सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2025/11 दर्ज तिथिः– 02.0.2025

1. चन्द्रकला पत्नी उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी हरपालू रामधन तहसील राजगढ़ जिला

................प्रार्थी

बनाम

1. रामसिंह पुनियां पुत्र धोलाराम जाति जाट निवासी सैनिक बस्ती चूरू
2. भारती पूनियां पत्नी रामसिंह पुनियां जाति जाट निवासी सैनिक बस्ती चूरू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीगणः– श्री ऋषिराज शेखावत
अप्रार्थीः– श्री विजय कस्वां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–: निर्णय :–

निर्णय तिथिः– 15.04.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 2118/1237 रकबा 4.2745 हैक्टर वा खसरा संख्या 2120/1238 रकबा 3.7939 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 8.0684 हैक्टर भूमि यही कस्बा चूरू में स्थित चली आ रही है जो प्रार्थीया के खातेदारी वा [illegible] की कृषि भूमि है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी सम्वत 2071 से 74 [illegible] के साथ सलग्न है।
2. अप्रार्थी सं 1 के खातेदारी की कृषि भूमि [illegible] 2101/2117 रकबा 2.4[illegible] हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थीया के खातेदारी की कृषि भूमि के उत[illegible] तरफ वा अप्रार्थी सं 2 [illegible] दारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 2119/1237 रकबा 1.4164 हैक्टर वा 2121/1238 रकबा 0.7588 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.1752 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थीया के कृषि भूमि के उतरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:03 IST
Reason: SelfAttested

तरफ स्थित चली आ रही है। जो राजस्व रिकार्ड मे कमश अप्रार्थी से 1 या 2 के खातेदारी वा राजस्व रिकार्ड में अंकित चले आ रहे है।

3. प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमियो के मध्य सीमा चिन्ह अस्पष्ट होने से काश्त के समय सीमा संबंधित वाद–विवाद बना रहता है जिससे पक्षकारो के मध्य लगातार मनमुटाव बना रहता है वा सीमा स्पष्ट नहीं होने से सीमाओ की पहचान करना मुशकिल है जिससे प्रार्थी अप्रार्थीगण को लगता है कि भविष्य में सीमा संबंधित वाद–विवाद हो सकते है। इसलिए आवश्यक हो गया कि प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण के खेत का पुख्ता सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाई जाये जिससे प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच सीमा संबंधी विवाद समाप्त हो सके। जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।

4. प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान प्रा. पत्र माननीय तहसीलदार महोदय चूरू को पेश किया जिसकी पालना में पटवार हल्का द्वारा मौके पर जाकर उक्त भूमि का नाप वा सीमा सीमाज्ञान किया गया जिसमे उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रकबे से कम भूमि मौके पर पायी गयी वा सींव वा सीमा चिन्ह विधिक माप से नही है।

5. प्रार्थी की सीव वा सीमा चिन्ह जो विधिक माप से स्थित नहीं है को अप्रार्थीगण छिन्न भिन्न अस्पष्ट जर्जर करने पर उतारू है इसलिए प्रार्थी के लिए यह जरूरी हो गया कि जरिये अदालतवाला सीमा ज्ञान व पत्थरगढ़ी उक्त कृषि भूमि की करवाई जाये। इसलिए यह प्रार्थना पत्र अंदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।

6. प्रार्थीया एक पर्दाशीन महिला है मौके पर प्रार्थीया एवम् अप्रार्थीगण के बीच सीव की कृषि भूमि की सीमा नष्ट व जर्जर व क्षीण हालत में है और विधिक माप से नही है जिससे खेत की सीमा को लेकर हर समय सीमाविवाद बना रहता है जिससे पक्षकार के मध्य मनमुटाव बना रहता है इसलिए प्रार्थीया के लिए सीमा ज्ञान आवश्यक हो गया है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 2118/1237 रकबा 4.2745 हैक्टर वा खसरा संख्या 2120/1238 रकबा 3.7939 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 8.0684 हैक्टर कृषि भूमि रोही कस्बा चूरू (राज.) का सही सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढ़ी) लगाने जिसके लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

7. अप्रार्थी सं 1 से 2 प्रार्थी के खेत के सीमा पड़ोसी है और भविष्य मे सीमा को लेकर कोई विवाद ना रहे इसलिए अप्रार्थी को इस प्रार्थना पत्र मे पक्षकार बनाया गया है।

8. पत्थरगढी व निशान देही में लगने वाला खर्चा प्रार्थी वहन करने को तैयार है तथा अदालतवाला को इस प्रार्थना पत्र के सुनवाई के अधिकार प्राप्त है। पत्थरगढी तहसीलदार साहब चूरू के माध्यम से अनुभवी पटवारी व गिरदावर की टीम गठित की जाकर करवाई जानी आवश्यक है।

9. पत्थरगढी की टीम गठित किया जाना वा पत्थरगढी करवायी जानी तहसीलदार के माध्यम से होनी है जिस कारण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बतौर अप्रार्थीगण संख्या 03 बनाया गया है।

10. विवादित कृषि भूमि श्रीमान् [illegible] के कारण अदालतवाला को प्रार्थना पत्र हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है [illegible] पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

11. अन्य तथ्य वर वक्त बहस [illegible]

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि [illegible]ना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं कृषि भूमि खसरा संख्या 2118/1237 रकबा 4. 2745 हैक्टर वा खसरा संख्या 2120 / 1238 रकबा 3.7939 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 8.0684 हैक्टर कृषि भूमि रोही कस्बा चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:03 IST
Reason: SelfAttested

(राज.) की अप्रार्थी सं 3 से टीम गठित करवाई जाकर नपती करवाई जाकर इस खेत मे पुख्ता पत्थरगढी व सीमांकन करवाया जावे। कृपा होगी।

12. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कस्वां ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 भूमिधारी है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 2 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

1. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित तथ्य ज्ञान एवं जानकारी के अभाव में अस्वीकार है ।
2. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 स्वीकार है ।
3. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित तथ्य जिस तरह से अंकित किये गये हैं अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने खाता संख्या 450 व 338 खसरा संख्या 2119 / 1237. 117 / 1237, तादादी 11 बीघा एवं 1221 / 1238 तादादी 8 बीघा 12 विश्वा का दिनाँक 08.07.2013 को श्रीमान् तहसीलदार चूरू को अपने खसरा और भूमि क्षेत्रफल का सर्वेक्षण और सीमांकन के लिए आवेदन किया गया जिसको तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया जाकर रिपोर्ट के लिए श्री विनोद कुमार शर्मा पटवारी को नियुक्त किया गया जिन्होने दिनॉक 28.04.2014 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष व मौतवीर गवाहान के समक्ष निशानदेही अक्स लठा अनुसार मौके पर जरीब डालकर निशानदेही दिलाई गई। उसी मुताबिक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने पुख्ता व मजबूत सींव डालकर जो आज भी मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार सही व दुरूस्त है और राजस्व नक्शा के अनुसार उपरोक्त खसरा के खातेदारों का कब्जा व काश्त सन् 2003 से बिना किसी बाधा के शॉतिपूर्वक चला आ रहा है।
4. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित तथ्य ज्ञान एवं जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थीया ने इस मद में स्पष्ट नहीं किया कि उसने तहसीलदार चूरू को सीमा ज्ञान बाबत कब आवेदन किया व कौनसे पटवारी को सीमा ज्ञान के लिए नियुक्त किया। और कौनसे खसरे में कितनी भूमि कम पाई गई। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।
5. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित तथ्य गलत एवं झूठे अंकित होने के कारणं अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने पुख्ता व मजबूत सींव डालकर जो आज भी मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार सही व दुरूस्त है ।
6. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 वर्णित तथ्य गलत एवं झूठे अंकित होने के कारणं अस्वीकार है। प्रार्थीया शिक्षित महिला है व उसके पति वन विभाग में उच्च पद पर कार्यरत रहे है। जिनको 2003 से ही अच्छी तरह राजस्व रिकार्ड एवं सीमाओं का ज्ञान एवं जानकारी रही है। 22 वर्ष बाद यह आपति उठाना कि सीमा जर्जर व क्षीण है के तथ्य बिल्कुल झूठे एवं मनगढत लिखे है। प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य अंकित कर पेश किया है। कानूनन प्रार्थीया 22 वर्ष पूर्व की कायम पुख्ता सीमा को नष्ट करवाकर पत्थरगढी ... की अधिकारी नहीं है।
7. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 अस्वीकार ... अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को इस प्रार्थना पत्र में गलत रूप से पक्षकार बनाया ... है।
8. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 में वर्णित तथ्य जिस तरह से अंकित किये गये हैं अस्वीकार है। प्रार्थीया ने माननीय न्यायालय के समक्ष यह आवेदन पत्र गलत रूप से पेश किया है। सीमाओं से जुड़े तमाम फैसले करने का अधिकार श्रीमान् तहसीलदार को है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया को तहसीलदार के समक्ष सीमा ज्ञान की कार्यवाही करनी चाहिए । इस न्यायालय के द्वारा सीमा ज्ञान का आदेश प्राप्त करने की प्रार्थीया अधिकारी नहीं है।

9. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 में वर्णित तथ्य जिस तरह से अंकित किये गये हैं अस्वीकार है। प्रार्थीया द्वारा श्रीमान् तहसीलदार को गलत रूप से पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है ।

10. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 में वर्णित तथ्य जिस तरह से अंकित किये गये हैं अस्वीकार है। पत्थरगढी व सीमा ज्ञान करवाने का क्षेत्राधिकार श्रीमान् तहसीलदार को है ।

11. प्रार्थना पत्र की मद संख्या 11 के जवाब की आवश्यकता नही है।

अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्च व हर्जे के खारिज किया जावे है। बडी कृपा होगी ।

13. तदुपरान्त प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनी गई।

14. दौराने बहस प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थित अनुतोष के समर्थन में यह निवेदन किया गया कि विवादित कृषि भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है, जिससे पक्षकारों के मध्य चल रहा सीमा विवाद समाप्त हो सके। वहीं अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि खाता संख्या 450 व 338 खसरा संख्या 2119 / 1237. 117 / 1237, तादादी 11 बीघा एवं 1221 / 1238 तादादी 8 बीघा 12 विश्वा का दिनाँक 08.07.2013 को श्रीमान् तहसीलदार चूरू को अपने खसरा और भूमि क्षेत्रफल का सर्वेक्षण और सीमांकन के लिए आवेदन किया गया जिसको तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया जाकर रिपोर्ट के लिए श्री विनोद कुमार शर्मा पटवारी को नियुक्त किया गया जिन्होने दिनॉक 28.04.2014 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष व मौतवीर गवाहान के समक्ष निशानदेही अक्स लठा अनुसार मौके पर जरीब डालकर निशानदेही दिलाई गई। उसी मुताबिक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने पुख्ता व मजबूत सींव डालकर जो आज भी मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार सही व दुरूस्त है और राजस्व नक्शा के अनुसार उपरोक्त खसरा के खातेदारों का कब्जा व काश्त सन् 2003 से बिना किसी बाधा के शॉतिपूर्वक चला आ रहा है। प्रार्थीया ने पत्रावली़ी स्पष्ट नहीं किया कि उसने तहसीलदार चूरू को सीमा ज्ञान बाबत कब आवेदन किया व कौनसे पटवारी को सीमा ज्ञान के लिए नियुक्त किया। और कौनसे खसरे में कितनी भूमि कम पाई गई। 2003 से ही अच्छी तरह राजस्व रिकार्ड एवं सीमाओं का ज्ञान एवं जानकारी रही है। 22 वर्ष बाद यह आपति उठाना कि सीमा जर्जर व क्षीण है के तथ्य बिल्कुल झूठे एवं मनगढत लिखे है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

15. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–1 [illegible] है जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundary the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:03 IST
Reason: SelfAttested

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

16. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

128. Boundary disputes. *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

Provided that *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

17. आज यह प्रार्थना–पत्र धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सीमा–ज्ञान (सीमांकन) एवं पत्थरगढ़ी के संबंध में निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब, अभिलेख एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस को सुनकर तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर यह तथ्य परिलक्षित होता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य स्थित कृषि भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद विद्यमान है। प्रार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि उसकी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 2118/1237 रकबा 4.2745 हैक्टर एवं खसरा संख्या 2120/1238 रकबा 3.7939 हैक्टर कुल रकबा 8.0684 हैक्टर स्थित रोही कस्बा चूरू तहसील एवं जिला चूरू की सीमाएं अस्पष्ट एवं जर्जर हो चुकी हैं, जिसके कारण बार–बार विवाद उत्पन्न हो रहा है, अतः उक्त भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी करवाई जानी आवश्यक है। अप्रार्थीगण द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया [illegible] सीमांकन किया जा चुका है एवं उसी के अनुसार पुख्ता सीमा विद्यमान है, [illegible] सीमांकन की आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षों के तर्कों एवं अभि[illegible] होता है कि भले ही पूर्व में सीमांकन की कार्यवाही की [illegible] पक्षकारों के मध्य सीमा संबंधी विवाद विद्यमान है। न्यायहित में यह आवश्यक है कि [illegible]वादित भूमि का पुनः विधिवत सीमांकन कराया जाकर स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित किए जाएं, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। यह भी स्पष्ट है कि सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी की कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:03 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार के माध्यम से ही करवाई जानी विधिसम्मत है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रकरण में सीमांकन / पत्थरगढ़ी की कार्यवाही आवश्यक है, किन्तु यह कार्यवाही नियमानुसार सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सभी संबंधित खातेदारों की उपस्थिति में की जानी उचित है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू—राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार चूरू खसरा संख्या 2118 / 1237 रकबा 4.2745 हैक्टर खसरा संख्या 2120 / 1238 रकबा 3.7939 हैक्टर कुल रकबा 8.0684 हैक्टर, स्थित रोही कस्बा चूरू तहसील एवं जिला चूरू की नपती एवं सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू—अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर मौके पर पुख्ता केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए सीमा के समीप सभी खातेदारों की उपस्थिति में राजस्व अभिलेखों एवं नक्शे के अनुसार विधिवत सीमाकंन एवं पत्थरगढ़ी करावें। संबंधित पक्षकारों / हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। यह आदेश केवल सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी तक सीमित रहेगा तथा इससे किसी भी पक्ष के स्वामित्व, कब्जा अथवा विभाजन संबंधी अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार चूरू को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 15.04.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:03 IST
Reason: SelfAttested